

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(20)एमई/ग्रुप-1/2018

जयपुर, दिनांक : 30-4-2018

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.4.2018 के द्वारा चिकित्सक शिक्षकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया था। उक्त आदेश के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजकीय हित में स्थानान्तरित चिकित्सक शिक्षकों को नियमानुसार टी.ए./डी.ए. देय होगा तथा स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित होने वाले चिकित्सक शिक्षकों को टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा।

आज्ञा से,


(रतन लाल)

उप शासन चिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर।
4. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज।
5. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव